

एक्सिस बैंक वर्चुअल गिफ्ट कार्ड के लिए नियम और शर्तें

ये शर्तें और नियम उन सभी लेनदेन पर लागू होते हैं जिनमें एक्सिस बैंक वर्चुअल गिफ्ट कार्ड ('कार्ड') का उपयोग किया जाता है और यह उन शर्तों का संपूर्ण अनुबंध बनाते हैं जिनके अधीन कार्ड धारक और बैंक के बीच कार्ड जारी किया जाता है। इन शर्तों और नियमों के संबंध में:

- सभी संदर्भों में एकवचन को बहुवचन में शामिल किया जाएगा और पुरुष लिंग में सभी संदर्भों में महिला लिंग को शामिल किया जाएगा।
- धारा के शीर्षक केवल सुविधा के लिए हैं और संबंधित धारा के अर्थ को प्रभावित नहीं करते। यदि किसी प्रावधान को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध, अमान्य या लागू करने में असमर्थ माना जाता है, तो ऐसा प्रावधान यहाँ से हटाया हुआ माना जाएगा, और शेष शर्तें और नियम प्रभाव में जारी रहेंगे।

परिभाषाएँ

इस दस्तावेज़ में, निम्नलिखित शब्दों और वाक्यांशों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

1. 'ATM' का अर्थ है एक स्वचालित टेलर मशीन
2. 'आवेदक' कार्ड के संदर्भ में उस व्यक्ति का तात्पर्य है जो बैंक से वर्चुअल कार्ड के लिए आवेदन करता है और उसे प्राप्त करता है।
3. 'उपलब्ध राशि' का अर्थ एक कार्ड के संबंध में, उस समय पर वर्चुअल कार्ड का उपयोग करने के लिए उपलब्ध राशि होती है, जो कार्ड खाता में जमा की गई राशि(यों) का योग होती है, जिसे कार्ड का उपयोग करके लेन-देन के लिए उपयोग की गई राशि(यों) द्वारा घटाया जाता है।
4. 'बैंक' का तात्पर्य एक्सिस बैंक लिमिटेड से है, जो भारत में कंपनियों के अधिनियम, १९५६ के तहत पंजीकृत एक कंपनी है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, १९४९ के अर्थ में एक बैंकिंग कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 'त्रिशूल' तीसरी मंजिल, विपरीत। समर्थेश्वर मंदिर, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद
– ३८०००६ और इसके उत्तराधिकारियों और असाइनियों को शामिल करता है
5. 'लाभार्थी' एक कार्ड के संबंध में उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो आवेदक से उपहार के रूप में वर्चुअल गिफ्ट कार्ड प्राप्त कर रहा है और आवेदक के अनिवार्यताओं और संधियों को स्वीकार करता है। हालाँकि, बैंक किसी अन्य व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।
6. 'कार्ड' का अर्थ है एक वर्चुअल गिफ्ट कार्ड जो बैंक द्वारा एक कार्डधारक को यहां शर्तों के अनुसार जारी किया गया है
7. 'कार्डधारक' का अर्थ है, एक कार्ड के संदर्भ में आवेदक या कार्ड का लाभार्थी
8. 'कार्ड खाता' का अर्थ एक खाता है जो बैंक द्वारा एक कार्ड के संबंध में बनाए रखा जाता है।
9. 'EDC' का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर टर्मिनल, प्रिंटर, अन्य परिधीय और सहायक उपकरण और ऐसे उपकरण को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर है

10. 'व्यापारी' या 'व्यापारी प्रतिष्ठान', का अर्थ है वे प्रतिष्ठान जो कहीं भी स्थित हैं और जो कार्ड को स्वीकार/सम्मान देते हैं और इनमें अन्य चीजों के अलावा: स्टोर, दुकानें, रेस्तरां, आदि शामिल हैं जो बैंक द्वारा विज्ञापित हैं और / या वीजा / मास्टरकार्ड / रूपे
11. 'POS' का अर्थ है बिक्री बिंदु टर्मिनल
12. 'लेन-देन' का अर्थ है बैंक के रिकॉर्ड में प्रदर्शित एक निर्देश या एक पृष्ठताछ या संचार, जिसे कार्डधारक द्वारा एक कार्ड का उपयोग करके सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक को एक लेन-देन को प्रभावी करने के लिए दिया या बनाया गया है, चाहे वह EDC, POS या बैंक के किसी अन्य उपकरण या बैंक के साझा नेटवर्क के माध्यम से हो।
13. 'VISA' वीजा इंटरनेशनल के स्वामित्व वाला ट्रेडमार्क दर्शाता है
14. 'मास्टरकार्ड', मास्टरकार्ड द्वारा स्वामित्व वाला एक ट्रेडमार्क है
15. 'RUPAY' का अर्थ है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा स्वामित्व वाला एक ट्रेडमार्क

कार्ड की वैधता और उपयोग

1. कार्ड की वैधता कार्ड जनरेशन की तारीख से ३ वर्षों की अवधि के लिए होती है।
2. कार्ड की अधिकतम वैधता तीन वर्ष है, जो उदाहरण के रूप में तिथि (जुलाई-२५ से जुलाई-२८) से शुरू होती है। कार्ड उसकी वैधता अवधि के रूप में निर्दिष्ट महीने के अंतिम दिन तक मान्य रहेगा। हालांकि, कहा गया एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले यदि कार्ड का शेष राशि शून्य तक पहुँच जाती है तो कार्ड मान्य रहना बंद कर देगा।
3. बैंक से संबंधित किसी कार्ड या लेनदेन के बारे में सभी संचार केवल आवेदक द्वारा किए जाने चाहिए। बैंक द्वारा कार्डों के संबंध में कोई भी संचार बैंक की वेबसाइट के माध्यम से प्रदान किया जाएगा या आवेदक को सीधे संप्रेषित किया जाएगा।
4. कार्ड का उपयोग लेनदेन के लिए तब उपलब्ध राशि तक किया जा सकता है।
5. कार्ड का उपयोग कार्डधारक द्वारा किया जाएगा, और यह हस्तांतरणीय नहीं है।
6. कार्ड पर किए गए लेनदेन पर, ऐसा राशि उपलब्ध राशि से घटा दी जाएगी ताकि उस लेनदेन के बाद एक नई उपलब्ध राशि प्राप्त हो सके। यदि कार्ड में लेन-देन को संसाधित करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध राशि नहीं है, तो लेन-देन संसाधित नहीं किया जाएगा।
7. कार्ड का उपयोग करना एक्सिस बैंक प्रीपेड कार्ड की शर्तों और नियमों की स्वीकृति माना जाएगा।
8. बैंक द्वारा कार्ड पर उपलब्ध / लोड की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
9. कार्डधारक कार्ड को केवल एक बार लोड करने में सक्षम होगा, जिसमें अधिकतम राशि ₹ १०,०००/- (केवल दस हजार) या कोई अन्य सीमा होगी जो बैंक द्वारा आंतरिक और लागू नियामक और वैधानिक दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित की जा सकती है। कार्ड को उसके बाद कार्डधारक और / या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रीलोड नहीं किया जा सकता।
10. एक्सिस बैंक वर्चुअल गिफ्ट कार्ड्स उपयोग के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो किसी भी VISA / MASTERCARD पर मान्य हैं।

/ भारत में केवल RUPAY सक्षम ऑनलाइन पोर्टल।

11. बैंक कार्ड के साथ बैलेंस पूछताछ और स्टेटमेंट क्लेरीज़ के लिए इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस भी प्रदान करता है। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सभी फंड ट्रांसफर सुविधाएँ ब्लॉक कर दी गई हैं।
12. प्रीपेड कार्ड में उपयोग न की गई या निकाली न गई शेष राशि, अंतिम लेनदेन की तिथि से १० वर्षों की अवधि के लिए, जमा करने वाले शिक्षा और जागरूकता फंड (DEAF) में स्थानांतरित की जाएगी।

कार्ड के लिए आवेदन

1. एक व्यक्ति जो कार्ड प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे बैंक में वर्चुअल गिफ्ट कार्ड आवेदन सह जमा पत्रक में आवेदन करना चाहिए, जो बैंक द्वारा निर्धारित है, साथ ही कार्ड खाते में जमा करने के लिए राशि भी शामिल होनी चाहिए।
2. बैंक को किसी भी आवेदन पर विचार न करने का अधिकार होगा, बिना किसी कारण बताए।
3. बैंक कार्डधारक द्वारा बैंक में जमा की गई राशि को उस कार्ड से संबंधित कार्ड खाते में जमा करेगा।

कार्ड सुरक्षा

कार्डधारक कार्ड की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और कार्ड के सुरक्षित उपयोग के सभी कदमों को सुनिश्चित करेगा।

कार्डधारकों की जिम्मेदारियाँ और संधि

1. कार्डधारक को अपनी पता बदलने की स्थिति में तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए।
2. कार्डधारक सभी लेनदेन और संबंधित शुल्कों के लिए जिम्मेदार होगा।
3. कार्डधारक स्वीकार करता है कि उसकी मांग और जोखिम पर बैंक ने उसे कार्ड प्रदान करने के लिए सहमति दी है और उसके कार्ड के उपयोग से रिकॉर्ड किए गए सभी लेनदेन के लिए पूर्ण जिम्मेदारी लेता है।
4. कार्ड के माध्यम से दी गई कोई भी निर्देश पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।
5. कार्डधारक सभी परिस्थितियों में कार्ड के उपयोग के लिए पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करेगा, चाहे वह उसके ज्ञान या उसके अधिकार, स्पष्ट या निहित, के साथ संसाधित किया गया हो या नहीं।
6. कार्डधारक बैंक को बिना शर्त अधिकृत करता है कि वह लेनदेन के लिए कार्ड का उपयोग करके उपयोग की गई राशि को उसके कार्ड खाते से डेबिट करे।
7. कार्डधारक को लेनदेन के आधार पर सामान्य व्यवसाय की प्रक्रिया में अच्छे विश्वास में की गई अपनी क्रियाओं के लिए बैंक को मुक्त और हानिरहित रखना चाहिए।
8. बैंक लेनदेन को अंजाम देने में अपनी सर्वोत्तम कोशिश करेगा लेकिन किसी भी कारण से कार्डधारक या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, जिसमें लेनदेन या निर्देश को अंजाम देने में देरी या असमर्थता भी शामिल है।

9. कार्डधारक सहमत है कि वह किसी भी लेन-देन या कार्ड खाता में प्रविष्टि के बारे में सभी विवादों को बैंक के ध्यान में लाएगा, लेन-देन या प्रविष्टि की तारीख से ७ दिनों के भीतर। अन्यथा, सभी लेन-देन और कार्ड खाता प्रविष्टियों को सही और कार्डधारक द्वारा स्वीकार किया गया माना जाएगा।
10. कार्डधारक बैंक को उन सभी राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता है जो कार्ड पर खर्च की गई हैं, जो कार्ड की खरीद पर खरीदार द्वारा किए गए मूल्य से अधिक हैं, जैसे कि रेस्तरां के टिप और अन्य अधिभार।
11. कार्डधारक को कार्ड में बकाया राशि को भुनाने की अनुमति दी जाएगी, यदि किसी कारण से योजना को समाप्त किया जा रहा है या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे बंद करने के लिए निर्देशित किया गया है।
12. कार्डधारक कार्ड का उपयोग क्रिप्टो करेंसी की खरीद के लिए नहीं करेगा।
13. एक वर्चुअल गिफ्ट कार्ड डिजिटल रूप में SMS, ईमेल में जारी किया जाता है और इसका कोई भौतिक कार्ड नहीं होता।

अप्रयुक्त कार्ड राशि

1. ग्राहकों को PPI की वैधता अवधि समाप्त होने से ४५ दिन पहले किसी एक उपलब्ध चैनल जैसे कि SMS/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
2. कार्ड की समाप्ति की तारीख के बाद किसी भी बकाया राशि का हस्तांतरण, धारक द्वारा खरीदे गए बैंक के नए समान भुगतान उपकरण पर, अनुमत्य हो सकता है।

कार्ड निष्क्रियता

1. यदि एक वर्ष की लगातार अवधि के लिए कोई वित्तीय लेनदेन नहीं होता है, तो कार्ड को बैंक द्वारा कार्डधारक को सूचित करते हुए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
2. कार्ड को केवल ग्राहक पोर्टल के माध्यम से या शाखा द्वारा समर्थन टीम के माध्यम से ग्राहक प्रमाणीकरण के बाद पुनः सक्रिय किया जा सकता है।
3. ऐसे कार्डों की रिपोर्ट RBI को उनके निर्देशों के अनुसार की जाएगी

शुल्क और चार्ज

1. वर्चुअल गिफ्ट कार्ड पर कोई शुल्क नहीं है।
2. कोई भी सरकारी शुल्क जो व्यय के दौरान लगाया जाता है, या कार्ड के उपयोग के परिणामस्वरूप देय अधिभार कार्डधारक की जिम्मेदारी होगी।
3. कार्डधारक बैंक को अधिकृत करता है कि वह उसके कार्ड के शेष राशि से कटौती करें, और बैंक को उन किसी भी खर्चों के खिलाफ मुआवजा देता है जो बैंक को कार्डधारक द्वारा बैंक को उसके कार्ड के संबंध में चुकाने योग्य धन की वसूली में हो सकते हैं (जिसमें

बिना किसी सीमा के, कानून द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर उचित वकील की फीस शामिल है)।

4. कार्डधारक द्वारा देय और चुकाए जाने वाले राशि, यदि अलग से नहीं चुकाए गए, बैंक द्वारा उपलब्ध राशि से या कार्डधारक के साथ बैंक के किसी अन्य खाते के डेबिट से वसूले जा सकते हैं।

शुल्क विवरण	वर्चुअल गिफ्ट कार्ड
मान्यता	3 साल
नकद निकासी	NA
जारी करने की फीस	NA
वार्षिक शुल्क	NA
लोडिंग शुल्क	NA
कार्ड प्रतिस्थापन	NA
कार्ड बंद करने का शुल्क	NA
कार्ड निष्क्रियता शुल्क	NA
पुनः जारी करने का शुल्क	NA
भुनाने का शुल्क	₹100+GST
ATM नकद निकासी शुल्क- जिम्मेदारी	NA
ATM नकद निकासी शुल्क- ऑफस- प्रति माह पांच लेनदेन मुफ्त	NA
गैर-वित्तीय लेनदेन - जिम्मेदारी - शेष पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, पिन रीसेट	NA
गैर-वित्तीय लेनदेन - ऑफस - बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, पिन रीसेट - प्रति माह पांच लेनदेन निःशुल्क	NA

- "NA" का अर्थ "लागू नहीं" (Not Applicable) है और यह दर्शाता है कि संबंधित शुल्क, चार्ज या सेवा उस संबंधित प्रीपेड कार्ड पर लागू नहीं होती है।

सुविधाओं में परिवर्तन

1. बैंक अपनी विवेकाधीनता पर, एक कार्ड के उपयोग के लिए ऑनलाइन और / या अन्य सेवाओं तक अधिक पहुँच साझा किए गए नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध करा सकता है। कार्डहोल्डर समझता है और सहमत है कि ऐसे नेटवर्क विभिन्न कार्यात्मकता, सेवा प्रस्ताव

और विभिन्न सेवाओं और / या स्थानों के लिए विभिन्न शुल्क प्रदान कर सकते हैं।

2. बैंक, अपनी एकमात्र विवेकाधीनता पर, किसी भी समय, कार्डधारक को बिना सूचना दिए, कार्ड का उपयोग करने की सुविधा और / या इससे संबंधित सेवाओं को रोकने, निरस्त करने, निलंबित करने / या समाप्त करने का अधिकार रखता है, ई-कॉम ऑनलाइन पहुँच और अन्य सेवाओं पर और कार्डधारक को किसी भी हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो किसी भी तरह से ऐसी निलंबन या समाप्ति के परिणामस्वरूप हो।
3. रखरखाव: हालांकि सेवाओं की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले रखरखाव कार्य की पूर्व सूचना दी जाएगी, बैंक बिना किसी सूचना के, ई-कॉम ऑनलाइन / अन्य समान उपकरणों या सभी या किसी भी सेवाओं की उपलब्धता को किसी भी समय निलंबित करने का अधिकार रखता है, यदि बैंक ऐसा करना आवश्यक समझता है, चाहे वह नियमित रखरखाव के लिए हो या किसी अन्य कारण से। प्रिंटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, बैलेंस जानकारी विवरण, न्युटियाँ।

डिजिटल चैनलों के उपयोग और शुल्क के लिए जोखिम, जिम्मेदारी और देयता

एक्सिस बैंक अपने डिजिटल चैनलों तक पहुँचने या उनका उपयोग करने के लिए कोई शुल्क या फीस नहीं लगाता है। बैंक द्वारा प्रदान की गई किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाकर, ग्राहक जोखिम, जिम्मेदारी और देयता से संबंधित निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करता है और सहमत होता है।

1. ग्राहक की जिम्मेदारी:

ग्राहक को अपनी लॉगिन करें क्रेडेंशियल, पंजीकृत मोबाइल नंबर, उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी की गोपनीयता और सुरक्षित उपयोग को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। किसी भी अनधिकृत पहुँच या दुरुपयोग के लिए जो ग्राहक के अंत में लापरवाही, सावधानीहीनता, या ऐसी जानकारी को सुरक्षित रखने में विफलता के कारण उत्पन्न होता है, उसकी जिम्मेदारी ग्राहक की होगी।

2. सुरक्षा और धोखाधड़ी जोखिम:

बैंक उन नुकसानों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो फ़िशिंग, विशिंग, मालवेयर हमलों, उपकरणों के समझौते, या तीसरे पक्ष के धोखाधड़ी से उत्पन्न होते हैं, जब ऐसी हानि ग्राहक द्वारा बैंक के निर्देशों या सलाहों का उल्लंघन करते हुए क्रेडेंशियल्स, OTP, पिन, पासवर्ड, या अन्य गोपनीय जानकारी साझा करने या प्रकट करने के कारण होती है।

3. ग्राहक देयता

ग्राहक अपनी पंजीकृत मोबाइल संख्या, उपकरण, लॉगिन करें क्रेडेंशियल, पिन, पासवर्ड और OTP की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। किसी भी अनधिकृत लेन-देन के लिए जो ग्राहक द्वारा ऐसी जानकारी साझा करने या समझौता करने के कारण उत्पन्न होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी ग्राहक की होगी।

4. डिजिटल प्लेटफॉर्म से निरस्तीकरण।

कार्डधारक अपने प्रीपेड कार्ड से संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसी भी समय बैंक के निर्धारित चैनल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके रद्द करने का विकल्प चुन सकता है।

a. डिजिटल ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया

रद्दीकरण को अधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा ग्राहक पोर्टल के माध्यम से शुरू किया जा सकता है।

<https://prepaid-customer.axis.bank.in/customerportal/#/axis-login>>>लॉगिन करें >> डीरजिस्टर

>> OTP के माध्यम से सहमति / पुष्टि प्रदान करें >> सबमिट करें

b. डिजिटल प्लेटफॉर्म से डीरजिस्ट्रेशन के बाद

कार्डधारक अब प्रीपेड कार्ड से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म और संबंधित डिजिटल सेवाओं तक पहुँच नहीं सकेगा, जो कि असंगति की प्रभावी तिथि से प्रभावी होगा।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन रद्द करना कार्डधारक को प्रीपेड कार्ड का उपयोग करने से नहीं रोकेगा। कार्डधारक कार्ड का उपयोग तब तक जारी रख सकता है जब तक उपलब्ध शेष राशि समाप्त नहीं हो जाती या कार्ड की समाप्ति तिथि तक, जो भी पहले हो, लागू शर्तों के अधीन।

c. पुनः पंजीकरण

सफलता से निर्बंधन के बाद, यदि एक कार्डधारक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से पंजीकरण करना चाहता है, तो फिर से पंजीकरण ग्राहक पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

d. पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा ग्राहक पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ किया जा सकता है।

<https://prepaid-customer.axis.bank.in/customerportal/#/axis-login>>> यहाँ पंजीकरण करें >> कार्ड के अंतिम 4 अंक/पैक संदर्भ संख्या, समाप्ति विवरण, मोबाइल नंबर दर्ज करें एवं सहमति प्रदान करें>> उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड सेट करें>> लॉगिन करें>> ग्रीन पिन>> नया 4 अंकों का पिन दर्ज करें>> OTP>> जमा करें ।

शिकायतें अनधिकृत लेनदेन और ग्राहक शिकायतें

बैंक या ग्राहक की किसी भी अनधिकृत लेन-देन के लिए जिम्मेदारी होगी:

1. शून्य देयता ग्राहक की - ग्राहक की शून्य देयता का अधिकार तब उत्पन्न होता है जब अनधिकृत लेन-देन निम्नलिखित तरीके से होता है:
 - बैंक की ओर से योगदानात्मक धोखाधड़ी/ लापरवाही/ कमी (चाहे ग्राहक द्वारा लेन-देन की रिपोर्ट की गई हो या न हो)
 - तीसरे पक्ष का उल्लंघन जहाँ कमी न तो बैंक में है और न ही ग्राहक में, बल्कि प्रणाली में कहीं और है, और ग्राहक बैंक को बिना अधिकृत लेनदेन के बारे में बैंक से प्राप्त संचार के तीन कार्य दिवसों के भीतर सूचित करता है।
2. ग्राहक की सीमित देयता - एक ग्राहक उन मामलों में अनधिकृत लेनदेन के कारण होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा:
 - यदि हानि ग्राहक की लापरवाही के कारण हो, जैसे कि जब उसने भुगतान विवरण साझा किया हो, तो ग्राहक पूरी हानि वहन करेगा जब तक कि वह अनधिकृत लेन-देन की रिपोर्ट बैंक को नहीं करता। अनधिकृत लेन-देन की रिपोर्टिंग के बाद होने वाली कोई भी हानि बैंक द्वारा वहन की जाएगी।

- जहाँ अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन की जिम्मेदारी न तो बैंक पर होती है और न ही ग्राहक पर, बल्कि प्रणाली में कहीं और होती है और जब ग्राहक द्वारा ऐसे लेन-देन की सूचना देने में देरी (बैंक से संचार प्राप्त करने के चार से सात कार्यदिवस बाद) होती है, ग्राहक की प्रति लेन-देन देयता लेन-देन के मूल्य या रु. १०,०००/- में से जो भी कम हो, तक सीमित होगी।
3. यदि ग्राहक, बैंक द्वारा अस्वीकृत लेनदेन के संबंध में बैंक से प्राप्त सूचना के सात कार्य दिवसों के बाद बैंक को सूचित करता है, तो ग्राहक की जिम्मेदारी बैंक की बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी। बैंक उसी का मूल्यांकन करेगा और बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित करेगा।
- पुनर्गठन विवरण के लिए, एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर जाएं (www.axis.bank.in) और बैंक की शिकायत निवारण नीति को पढ़ें <https://www.axis.bank.in/docs/default-source/default-document-library/grievance-grievance-redressal/grievance-redressal-policy.pdf> या कॉल करें ०२२-६७९८७७००।
4. आपके निर्देशों और अन्य विवरणों (जिसमें, लेकिन सीमित नहीं है, किए गए या प्राप्त भुगतानों सहित) के सभी रिकॉर्ड, बैंक द्वारा यहां के नियम और शर्तों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी रूप में रखे गए, आपके खिलाफ ऐसे निर्देशों और अन्य विवरणों के ठोस साक्ष्य माने जाएंगे।
5. यदि आपके खाते पर रिपोर्टिंग के समय और/या किए गए लेन-देन/लेन-देन से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में, बैंक विवादित लेन-देन के समय और/या उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने का अधिकार रखता है और यदि आपके कार्ड खाते में तीसरे पक्ष के धोखाधड़ी के कारण अनधिकृत लेन-देन हुए हैं या जहाँ आपने धोखाधड़ी में योगदान नहीं दिया है, तो आपकी देनदारी आरबीआई सर्कुलर के तहत दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार तय की जाएगी "ग्राहक सुरक्षा- अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहकों की सीमित देनदारी"। समय-समय पर संशोधित नियमों में कोई भी परिवर्तन उस समय लागू और बाध्यकारी होगा।
6. अधिक सहायता के लिए वेबसाइट देखें www.axis.bank.in/support

जानकारी का खुलासा

1. बैंक का अधिकार है कि वह अन्य संस्थाओं को कार्ड या कार्डधारक से संबंधित ऐसी जानकारी प्रकट करे जो किसी इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर नेटवर्क में इसकी भागीदारी के संबंध में आवश्यक या उचित हो।
2. ईकॉम ऑनलाइन / अन्य उपकरणों पर कार्ड का उपयोग कार्डधारक की स्पष्ट सहमति के रूप में माना जाएगा
 - बैंक द्वारा उचित लेन-देन अभिलेख बनाए रखने के लिए आवश्यक किसी भी साधन से पहचान और कार्ड बैलेंस जानकारी के संग्रह, भंडारण, संचार और प्रसंस्करण
 - कार्डधारक के खाते और लेनदेन की जानकारी और अन्य डेटा, जिन्हें कार्ड का उपयोग ऑनलाइन / अन्य उपकरण पर करने के लिए आवश्यक है, के विवरणों को प्रतिभागियों और प्रोसेसर नेटवर्क / अन्य नेटवर्क को जारी करने और संचरण करने के लिए
 - बैंक में उक्त प्रतिभागियों और प्रोसेसरों द्वारा ऐसी जानकारी और डेटा का संरक्षण

/ अन्य नेटवर्क

- बैंक के नेटवर्क / अन्य नेटवर्क में प्रतिभागियों और प्रोसेसरों द्वारा जानकारी के प्रकटीकरण से संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए
 - तीसरे पक्षों को लेन-देन के बारे में जानकारी का खुलासा करना जहाँ यदि लेन-देन को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, या जब कानून, सरकारी एजेंसी या अदालत के आदेशों या कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए आवश्यक हो, या जब कार्डधारक द्वारा उठाए गए त्रुटियों या प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक हो, या बैंक की आंतरिक डेटा प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।
3. कार्डधारक इस प्रकार बैंक को स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है कि वह किसी भी समय और किसी भी उद्देश्य के लिए, उसके व्यक्तिगत विवरण, कार्ड लेनदेन, या बैंक के साथ लेनदेन से संबंधित कोई भी जानकारी, बैंक के मुख्य कार्यालय या बैंक के अन्य शाखाओं, सहायक कंपनियों, या संबद्ध या सहयोगी निगमों को, जो कहीं भी स्थित हैं, भारत या अन्यत्र किसी भी सरकारी या नियामक एजेंसियों या प्राधिकरणों को, किसी भी एजेंट या ठेकेदारों को जो बैंक के लाभ के लिए किसी सेवा(ओं) का प्रदर्शन करने के लिए समझौते में प्रवेश कर चुके हैं, तथा उन सभी अन्य व्यक्ति(ओं) को, जिनके लिए जानकारी का खुलासा कानून द्वारा आवश्यक है या अन्यथा, जिनको बैंक ऐसा खुलासा करने के लिए उचित समझता है।
4. यहाँ खातों के संबंध में दायित्व केवल उस बैंक शाखा पर चुकाए जाने योग्य हैं जहाँ कार्ड जारी किया गया था और यह स्थानीय कानूनों के अधीन हैं (जिसमें, बिना किसी सीमा के, कोई भी सरकारी अधिनियम, आदेश, अधिसूचना और विनियम, जिसमें वित्तीय और विनियम नियंत्रण विनियम शामिल हैं)।

बैंक का अधिकार

1. बैंक अपनी एकमात्र विवेकाधिकार पर कार्ड को वापस ले सकता है या निलंबित कर सकता है या इसके किसी भी फीचर में बिना कार्डधारकों को सूचित किए संशोधन कर सकता है।
2. बैंक के पास यह विवेकाधिकार होगा कि वह लेन-देन को न करे जहाँ उसे कारण है कि कार्ड का उपयोग अधिकृत नहीं है या लेन-देन वास्तविक नहीं प्रतीत होता है या स्पष्ट नहीं है या ऐसा है कि संदेह या यह किसी भी कारण से प्रभाव में नहीं लाया जा सकता है।
3. यदि कार्डधारक द्वारा दी गई कोई भी निर्देश बैंक द्वारा एक से अधिक तरीकों से निष्पादित की जा सकती है, तो बैंक उस निर्देश को अपने विवेक से उन में से किसी एक तरीके से निष्पादित कर सकता है।

कार्डधारक व्यापारियों के साथ विवाद

1. एक इलेक्ट्रॉनिक स्लिप जिसमें कार्ड संख्या (मास्क की गई) उल्लेखित है, बैंक और कार्डधारक के बीच कार्डधारक द्वारा उठाए गए दायित्व की सीमा के रूप में निर्णायक सबूत होगा।
2. बैंक किसी भी तरह से कार्डधारक द्वारा प्राप्त किसी भी सामान या सेवाओं की गुणवत्ता, मूल्य की वारंटी, डिलिवरी में देरी, गैर-डिलिवरी, गैर-प्राप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

3. यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि कार्ड की सुविधा केवल कार्डधारक को सामान खरीदने या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक सुविधा है और बैंक गुणवत्ता, मूल्य, डिलीवरी या अन्यथा, सामान या सेवाओं के संबंध में कोई वारंटी नहीं देता है या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और विवाद होना चाहिए

व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ सीधे समाधान किया जा सकता है। हालाँकि, कार्डधारक को बैंक को व्यापारी के साथ विवाद की रिपोर्ट करनी चाहिए, जिसमें स्थानों के नाम, लेनदेन की तिथि और समय और अन्य विवरण शामिल हों जो बैंक को अपनी जांच में सहायता करेंगे।
4. बैंक को एक पीड़ित कार्डधारक के असहमति के संबंध में बयान में दर्शाए गए लागू शुल्क को हल करने के लिए सत्यापित और उचित प्रयास करने चाहिए, असहमति की सूचना प्राप्त करने के दो महीने के भीतर। यदि ऐसी कोशिश के बाद, बैंक यह निर्धारित करता है कि संकेतित शुल्क सही है, तो वह इसे कार्डधारक को एक कॉपी सहित संप्रेषित करेगा जिसमें बिक्री पर्ची या भुगतान अनुरोध के विवरण शामिल होंगे।
5. बैंक किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड का सम्मान करने से इंकार करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
6. बैंक ने कुछ व्यापारियों के साथ एक व्यवस्था पर पहुँच गया है, ताकि कार्डधारक को खरीदी गई वस्तुओं / प्राप्त की गई सेवाओं के संबंध में छूट दी जा सके। हालाँकि, बैंक किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा जो कार्डधारक को ऐसे व्यापारियों के साथ हो सकता है।

जिम्मेदारी से बाहर

1. इसके पूर्ववर्ती के बावजूद, बैंक किसी भी हानि या क्षति के लिए कार्डधारक के प्रति किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होती है:
 - आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं में कोई दोष
 - किसी व्यक्ति द्वारा कार्ड का सम्मान करने या स्वीकार करने से इनकार करना
 - किसी भी व्यक्ति द्वारा वर्चुअल कार्ड की वापसी के लिए किए गए किसी भी बयानों या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी क्रिया को जोड़ा गया हो।
 - बैंक द्वारा उस कार्ड के समर्पण की मांग और उसे प्राप्त करने के अधिकार का प्रयोग, जो इसके सामने की तारीख से पहले समाप्त होता है, चाहे वह मांग और समर्पण बैंक द्वारा किया गया हो या किसी व्यक्ति या कंप्यूटर टर्मिनल द्वारा किया गया हो।
 - बैंक द्वारा किसी भी कार्ड को समाप्त करने के अधिकार का प्रयोग
 - आवेदक की क्रेडिट विशेषता और प्रतिष्ठा को किसी भी चोट, जिसे कार्ड की पुनर्प्राप्ति और / या इसके लौटाने के लिए किसी भी अनुरोध या किसी व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड को सम्मानित या स्वीकार करने से इनकार करने के कारण होने का आरोप लगाया गया है।
 - बैंक को disclosed किए गए किसी भी विवरण में कोई भी गलत बयानी, गलत सूचना, त्रुटि या चूक

- व्यापारी स्थान पर किसी भी कारण से लेन-देन का अस्वीकृत होना
2. उपरोक्त के बिना, बैंक कार्डधारक के संबंध में किसी भी हानि या क्षति के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं रखेगा जो सीधे रूप से उत्पन्न होती है
 3. बैंक किसी भी सेवा विफलताओं या व्यवधानों (जिनमें डेटा हानि शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और न ही किसी प्रणाली या उपकरण की विफलता के लिए या बैंक द्वारा तीसरे पक्ष के उत्पादों या अंतर्संबंधों (जिनमें बिजली या दूरसंचार शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) पर निर्भरता के कारण होने वाले किसी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।
 4. बैंक किसी भी धार्मिक आपदाओं, दंगों, जन विद्रोहों, विद्रोहों, युद्धों या किसी अन्य कारणों के कारण अपने व्यवसाय में रुकावट के परिणामों के लिए कोई जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व नहीं स्वीकार करता है, या किसी भी हड़तालों या तालाबंदी के कारण।
 5. यदि ऑनलाइन पोर्टल में कोई खराबी आती है, जिसके परिणामस्वरूप कार्डधारक को लेन-देन की राशि के कुछ या सभी हिस्से का नुकसान होता है, और ऐसी हानि को बैंक द्वारा बैंक के रिकॉर्ड की पुष्टि के माध्यम से सत्यापित किया जाता है, तो बैंक उस हानि को ठीक करेगा और आपके कार्ड में किसी भी समायोजन सहित सेवा शुल्क के लिए किसी भी समायोजन करेगा, यदि कोई हो।
 6. बैंक किसी भी हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो कार्डधारक को उसके निर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण हो, जब ऐसी विफलता बैंक के नियंत्रण के बाहर के कारणों से हो, इस संबंध में बैंक की राय अंतिम होगी।
 7. कार्ड सुविधा का लाभ उठाकर, कार्डधारक बैंक को कार्ड के उपयोग द्वारा किए गए लेनदेन को निष्पादित करने के लिए स्पष्ट अधिकार प्रदान करता है। बैंक का किसी लेन-देन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का कोई दायित्व नहीं होगा जो पीआईएन के माध्यम से नहीं किया गया है।
 8. बैंक किसी भी परिस्थिति में किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वे सीधे हों या अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणामी, और चाहे कोई भी दावा राजस्व, निवेश, उत्पादन, सद्भावना, लाभ, व्यवसाय में बाधा या किसी अन्य प्रकार या स्वभाव के नुकसान पर आधारित हो, और चाहे वह कार्डधारक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहन किया गया हो।
 9. बैंक उन निधियों की उपलब्धता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो कार्ड में जमा की गई हैं, यदि वह परिवर्तनीयता या हस्तांतरणीयता पर प्रतिबंधों, अनुरोधों, अनैच्छिक हस्तांतरणों, युद्ध के कार्यों या नागरिक संघर्षों या बैंक के नियंत्रण से परे अन्य समान कारणों के कारण हो। इस परिस्थिति में, बैंक की कोई अन्य शाखा, सहायक या सहयोगी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

भुगतान अस्वीकार करने की क्षमता

1. कानून द्वारा अन्यथा आवश्यक होने के अलावा, यदि बैंक किसी प्रक्रिया, समन्वय, आदेश, निषेधाज्ञा, कार्यान्वयन, विवशता, लेवी, गारंटी, जानकारी या नोटिस प्राप्त करता है जिसे बैंक ईमानदारी से मानता है कि यह कार्डधारक की कार्ड पर लेनदेन करने की क्षमता को प्रश्न में रखता है, तो बैंक, अपनी विवेकाधिकार पर और कार्डधारक के किसी भी धन के हिस्से को प्राप्त करने की जिम्मेदारी के बिना, ऐसे धन को किसी उचित प्राधिकरण के पास दे सकता है और लागू कानून द्वारा आवश्यक किसी अन्य उपाय को अपना सकता है।
2. बैंक को यह अधिकार है कि वह कार्ड पर उपलब्ध राशि से एक उचित सेवा शुल्क और किसी भी व्यय को काट ले, जो बैंक को कार्ड से संबंधित कानूनी कार्रवाई के कारण होता है, जिसमें बिना किसी सीमा के उचित कानूनी शुल्क शामिल हैं।

कार्ड का समाप्ति

1. यदि कार्डधारक कार्ड के उपयोग को समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो कार्डधारक पोर्टल के माध्यम से कार्ड बंद कर सकता है। ग्राहक समर्थन को भी लिख सकता है या शाखा से संपर्क कर सकता है।
2. बैंक इस सुविधा को किसी भी समय कार्ड को रद्द करके, किसी भी कारण को बताने के बिना, समाप्त करने का अधिकार रखता है और ७ दिनों की सूचना देकर इसे समाप्त कर सकता है तथा इसे कार्डधारक द्वारा भारत में बैंक को अंतिम बार लिखित रूप से सूचित किए गए पते पर भेजने के ७ दिनों के भीतर प्राप्त माना जाएगा।

इंडेन्टिटी

1. कार्डधारक बैंक को किसी भी हानि के लिए मुआवजा देने और बैंक, इसके ग्राहकों या किसी तीसरे पक्ष द्वारा भुगती गई किसी भी हानि या किसी तीसरे पक्ष द्वारा कार्डधारक, उनके किसी भी एजेंट, कर्मचारियों और सहयोगियों द्वारा कार्ड सुविधाओं के उपयोग के संबंध में लाए गए किसी भी दावे या कार्यवाही के खिलाफ सुरक्षित रखने पर सहमत होता है। कार्डधारक बैंक को सभी दायित्वों, हानियों, क्षतियों और खर्चों के लिए मुआवजा देने पर सहमत होता है, जो बैंक सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित के परिणामस्वरूप सहन या वहन कर सकता है:
 - लापरवाही / कार्डधारक की गलती या गलत काम
 - कार्ड से संबंधित नियमों / शर्तों का उल्लंघन या अनुपालन न होना
 - कार्डधारक या उसके कर्मचारियों / एजेंटों द्वारा किसी भी लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी या बेईमानी
 - ऑनलाइन व्यापारी, EDC और समान इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल मशीनें हैं और संचालन के दौरान त्रुटियाँ हो सकती हैं।
2. कार्डधारक बैंक के लिए किसी भी ऐसी विफलताओं के लिए मुआवजा देने पर सहमत है। बैंक किसी भी कारण के लिए सुविधा प्रदान करने या शर्तों और नियमों का पालन करने में विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो बैंक के नियंत्रण से परे है। बैंक द्वारा कार्डधारक को कार्ड की सुविधा प्रदान करने के संबंध में, कार्डधारक सहमत है कि वह बैंक को सभी कार्रवाईयों, मांगों, दावों, कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, व्यक्तिगत चोटों, लागतों, शुल्कों और व्यय से मुक्त रखेगा जो बैंक कभी भी उस समय उठाएगा, सहन करेगा, झेलेगा या कार्डधारक को कार्ड की उपर्युक्त सुविधा प्रदान करने के परिणामस्वरूप या बैंक द्वारा अच्छे विश्वास में कार्डधारक के निर्देश पर कार्रवाई करने, कार्रवाई करने से इनकार करने या कार्रवाई करने से चूकने के कारण उठने वाली परिस्थितियों के लिए हो सकता है। कार्डधारक बैंक के खिलाफ किसी भी देनदारी (नागरिक या आपराधिक), हानि, लागत, खर्चों के लिए पूरी तरह से मुआवजा देता है। या ऐसे नुकसान या क्षतियों के लिए जो कार्ड के खो जाने या दुरुपयोग के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, यदि इसे खो दिया जाता है और बैंक को सूचित नहीं किया जाता है या खो जाने और बैंक को सूचित करने से पहले दुरुपयोग किया जाता है।

विभिन्न

1. कार्डधारक को यह शर्तें और नियम बिना शर्त स्वीकार किए जाने और सहमत होने के लिए माना जाएगा जब वह कार्ड आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और कार्ड की प्राप्ति की लिखित में स्वीकृति देगा।
2. बैंक को कार्ड पर पेश किए जाने वाले नीतियों, सुविधाओं और लाभों को संशोधित करने और समय-समय पर इन शर्तों और नियमों को बदलने का अधिकार है और इस पर अपडेट की गई शर्तें और नियम एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी www.axisbank.com. कार्डधारक उन परिवर्तनों के लिए बाध्य होगा जब तक कि आभासी उपहार कार्ड को किसी भी परिवर्तन के प्रभाव में आने की तिथि से पहले रद्द करने के लिए बैंक को वापस नहीं किया जाता है।
3. ये शर्तें धारक और बैंक के बीच एक अनुबंध का निर्माण करती हैं। सेवा को स्वीकार करके, कार्डधारक इन शर्तों और नियमों को स्वीकार करता है।
4. बैंक निम्नलिखित उद्देश्यों / कारणों में परिवर्तन कर सकता है (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं):
 - वर्चुअल गिफ्ट कार्ड के उपयोग से संबंधित शुल्क लगाने या बढ़ाने का कार्य करें
 - कार्डधारक की लेनदेन से संबंधित हानियों के लिए जिम्मेदारी बढ़ाएं जो उसके / उसकी कार्ड के साथ हैं
5. बैंक बिना किसी सूचना के परिवर्तन कर सकता है यदि परिवर्तन इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली या उपकरण की सुरक्षा बनाए रखने या बहाल करने के लिए आवश्यक हो जो कार्ड लेनदेन के लिए उपयोग किया जाता है। यदि ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो कार्डधारक को 30 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा, जब तक कि खुलासा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली या उपकरण की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालता।
6. इन और किसी अन्य परिवर्तनों की सूचना बैंक द्वारा कार्डधारक को एक्सिस बैंक वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जा सकती है www.axis.bank.in
7. बैंक कार्डधारक को इन शर्तों और नियमों में परिवर्तन की सूचना भी दे सकता है, जिसे एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट करके सूचित किया जाएगा।
8. ये शर्तें और नियम; क) किसी भी पूर्व में की गई प्रस्तावों, प्रतिनिधित्वों, समझौतों और समझौतों, स्पष्ट या निहित, मौखिक या लिखित पर प्रभावी होंगी और, ख) बैंक के सामान्य शर्तों और नियमों के अलावा लागू होंगी जो जमा खाते और बैंक के अन्य शर्तों और नियमों पर लागू होते हैं। हालांकि, यदि किसी संघर्ष की स्थिति में, ये आभासी उपहार कार्ड सुविधा के लिए नियम और शर्तें आभासी उपहार कार्ड सुविधा के तहत लेनदेन के संबंध में प्रबल होंगी।

कानून का अनुपालन

एक्सिस बैंक द्वारा पेश किए गए वर्चुअल गिफ्ट कार्ड उत्पाद ऐसे शर्तों और शर्तों के अधीन है, जैसे कि नियामक और / या वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक शामिल है और वर्चुअल गिफ्ट कार्ड से संबंधित प्रावधान नियामक आवश्यकता और / या एक्सिस बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। यहां प्रदान की गई वर्चुअल गिफ्ट कार्ड सुविधा और ये शर्तें और नियम लागू कानून और विनियमों के अधीन हैं और किसी भी समय प्रचलित कानून या विनियम के आधार पर संशोधित या समाप्त किए जा सकते हैं और बैंक किसी भी दायित्व या बाध्यता के तहत नहीं होगा या कहा गया कार्ड सुविधा का कार्यान्वयन जारी नहीं रखेगा जब तक कि उन शर्तों को उस समय के प्रचलित या संशोधित कानून के अनुसार संशोधित नहीं किया जाता। यदि ऐसा होता है कि कार्ड सुविधा को प्रचलित कानून के पूर्ण अनुपालन के बिना जारी नहीं रखा जा सकता है, तो यह समझौता/शर्तें उस तिथि से तुरंत समाप्त

मानी जाएंगी जब संशोधित कानून जो व्यवस्था को प्रतिबंधित या निषिद्ध करता है, लागू होता है।

शासन कानून और क्षेत्राधिकार

ये शर्तें और स्थिति और / या लेनदेन भारतीय कानून द्वारा नियंत्रित होंगे और मुंबई में सभी न्यायालयों का कार्ड के उपयोग से उत्पन्न किसी भी दावे या मामले के संबंध में विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।